न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सौम्या झा
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 19 / 2025

संकल्प विकास संस्थान दौसा जरिए सचिव / मंत्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र भगवतीप्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी दौसा

..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 271 दिनांक 01.10.2013 द्वारा तस्दीक तहसीलदार दोसा

उपस्थित–1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 26.5.2026

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 01.10.2013 को ग्राम बीचलवास के नामान्तरण सं0 271 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब कियागया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख की प्रमाणित प्रति मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट ग्राम बीचलवास हसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 241 / 4 रकबा 0.53 है0 बारानी द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि को धारा 90क के तहत नगर परिषद दौसा से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन कराकर पटटा विधिवत रूप से नगर परिषद दौसा से प्राप्त किया है परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार ने नामान्तकरण के कॉलम नंबर 14 में 90क तो अंकित कर दिया परन्तु भूमि की किस्म अंकित नहीं की जबकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित कराई है। इसी आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की किस्म बारानी द्वितीय अंकित हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ तहसीलदार ने नामान्तकरण के कॉलम नंबर 14 में 90 क तो अंकित कर दिया परन्तु उक्त भूमि की किस्म दर्ज नहीं की जबकि अपीलान्ट ने उक्त भूमि शैक्षणिक प्रयोजनाथ हेतु परिवर्तित कराकर पटटा प्राप्त किया है तो अधिनस्थ तहसीलदार को भूमि की किस्म को भी नामान्तकरण में अंकित करना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार ने दस्तावेजात का कोई अवलोकन ही नहीं किया इसलिए तहसीलदार का नामान्तकरण कानून विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा भूमि नगर परिषद के नाम तो अंकित कर दी परन्तु भूमि की किस्म अंकित नही की। जबकि तहसीलदार को दस्तावेजो के आधार पर भूमि की किस्म शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु अंकित करना चाहिए था। इसलिए भी अधिनस्थ तहसीलदार का आदेश व नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 271 दिनांक 01.10. 2013 को

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त फरमाया जावे या फिर नामान्तकरण के कॉलम नंबर 14 में भूमि की शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अंकित करने व राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम बीचलवास स्थित भूमि ख.न. 241/4 रकबा 0.53 बारानी 2 जरिये 90 (क) नगर परिषद दौसा द्वारा आदेश क्रमांक 2499–2501 दिनांक 26.09.13 द्वारा जरिये 90 (क) की कार्यवाही शैक्षणिक प्रयोजनार्थ की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 01.10.2013 में दर्ज भूमि की किस्म शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज नही होकर बारानी 2 ही दर्ज है।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, प्रस्तुत अपील, विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तथा तहसीलदार/भू अभिलेख दौसा की रिपोर्ट का अवलोकन किया।

- अपीलांर्थी की ओर से ग्राम बीचलवास तहसील व जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 241/4 रकबा 0.53है. के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की गई है कि उक्त भूमि के संबंध में नगरपरिषद दौसा द्वारा धारा 90 के/90 ए के अंतर्गत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कार्यवाही/आदेश पारित होने के बावजूद नामान्तरण सं0 271 दिनांक 01.10.2013 एवं राजस्व अभिलेख में भूमि की किस्म/प्रयोजन " शैक्षणिक प्रयोजनार्थ " अंकित नहीं होकर बारानी द्वितीय अंकित रह गया है।
- अभिलेख पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद दौसा द्वारा आदेश क्रमांकः 2499–2501 दिनांक 26.9.2013 के संबंधित भूमि के संबंध में धारा 90 ए के अंतर्गत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कार्यवाही की गई थी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि नामान्तरण सं0 271 दिनांक 1.10.2013 में उक्त प्रयोजन राजस्व अभिलेख में पूर्ण/स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हो पाया तथा भूमि बारानी द्वितीय के रूप में अंकित रह गई। प्रतिवादी पक्ष की रिपोर्ट में मूल तथ्य का खंडन नहीं किया गया है।
- विलंब के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। चूंकि प्रकरण मुख्यतः राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती धारा 90 ए आदेश के अनुरूप प्रविष्टि अंकित करने से संबंधित है तथा प्रतिवादी पक्ष की रिपोर्ट से अभिलेखीय त्रुटि/अपूर्ण प्रविष्टि का तथ्य पुष्ट होता है। अतः न्याय हित मे विलंब को क्षम्य माना जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार/संबंधित भू अभिलेख अधिकारी दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बीचलवास तहसील व जिला दौसा स्थित खसरा नंबर 241/4 रकबा 0.53है. के संबंध में मूल 90 ए आदेश, पट्टा/रूपांतरण अभिलेख तथा नामान्तरण सं0 271 दिनांक 01.10.2013 से मिलान कर राजस्व अभिलेख/नामान्तरण में धारा 90 ए के आदेश के अनुरूप भूमि का प्रयोजन "शैक्षणिक प्रयोजनार्थ" अंकित करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा नामान्तरण सं. 271 दिनांक 1.10.2013 को अन्य किसी सीमा तक निरस्त नहीं किया जा रहा है। इस आदेश से स्वामित्व, शीर्षक, कब्जा, पट्टा की वैधता, 90 ए आदेश की वैधता अथवा किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों पर कोई प्रथम/अतिरिक्त निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं किया गया है। आदेश का प्रभाव केवल राजस्व अभिलेख को उपलब्ध 90 ए आदेश/अभिलेख के अनुरूप सीमित रूप से दुरुस्त करने तक रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.5.2026 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official